

विमुक्त एवं घुमंतु जन समुदाय दशा एवं दिशा

डॉ. आरिफ महाता

सहायक प्राध्यापक एवं हिंदी विभाग प्रमुख,

विवेकानंद कॉलेज, कोल्हापुर(स्वायत्त)

ईमेल- drmahatas@gmail.com

मो. नंबर- 9860857089

सारांश

भारत देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली लेकिन अंग्रेजों द्वारा गोपी गयी इस समुदाय की गुलामी 31 अगस्त 1952 में तकर्रीबन 91 साल बाद समाप्त हुई। सन् 1952 तक अंग्रेजी कानून के तहत इन्हें जन्मजात अपराधी माना जाता था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 11 अप्रैल 1960 को महाराष्ट्र के शोलापुर में सेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले लोगों को 'विमुक्त' कर दिया तब से इस गुनहगार जातियों को 'विमुक्त जनजाति' के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस कानून के चलते घुमंतू जनजातियों ने अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की भूमि तो खो दी। विडंबना यह है कि अंग्रेजों द्वारा प्रचलित पूर्वाग्रह के आधार पर इन विमुक्त जनजातियों को आज भी सामान्य जन या अभिजात वर्ग द्वारा अपराधीक प्रवृत्ति का माना जाता है। अभिजात वर्ग आज भी इन्हीं आदतन अपराधी मानते हैं इसलिए जब भी कभी नहीं कोई वारदात होती है तो सबसे पहले विमुक्त जनजातियों के लोगों को शक के दायरे में लेकर निशाना बनाया जाता है।

बीज शब्द- विमुक्त, घुमंतु, जन्मजात अपराधी, जनजाति।

भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में सभी का योगदान रहा है। इसे नकारा नहीं जा सकता। घुमंतू समुदाय ऐसा ही एक समाज है जो अपने लडाऊ प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजों को नाकों तले चने चबवाया है। इस समुदाय ने अपने तरफ से देश को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग दिया है लेकिन आज भी समाज मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है। आजादी के इतने साल बाद भी यह समाज मुख्यधारा में अभी तक आ ही नहीं पाया है और वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमेशा भटकने वाला यह समाज अपनी अनगिनत समस्याओं के साथ राजनीतिक उपेक्षा के चलते अभी तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्षशील नजर आता है।

घुमंतू का शाब्दिक अर्थ है, 'घुमक्कड़' जो बिना कारण इधर-उधर घूमे। मराठी में घुमंतु के लिए भटके, भटका आदि शब्द प्रचलित हैं, जिसका अर्थ है- जो हमेशा भटकता रहता है, किसी एक जगह पर नहीं टिकता। अंग्रेजी में घुमंतू के लिए शब्द है- Nomade या Nomad यह शब्द ग्रीक के Nomi या Nemo शब्द से विकसित हुआ है। बृहत् अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश में Nomad या Nomade का अर्थ दिया है- "अस्थिरवासी, यायावरी, चलवासी, पर्यटनशील, विचरणशील, भ्रमणप्रिय, घुमन्ता, घुमक्कड़, खानाबदोश।" ¹ इस इस अर्थ में घुमंतू शब्द का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि कोई घुमंतू शौक से, अनुभव लेने को, ज्ञान प्राप्ति हेतु यात्रायें कर सकता है, जिसके लिए खूब पैसा और समय चाहिए। लेकिन यहां घुमंतू शब्द घुमंतू जनजाति के संदर्भ में है। वह विशेष जाति जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता और आजीविका की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते हैं। इनका यह घूमना मौज-मस्ती के लिए नहीं बल्कि यह उनकी विवशता है।

कुछ विद्वानों ने घुमंतू जनजातियों को परिभाषित किया है। लक्ष्मण शास्त्री जोशी कहते हैं- "उदरनिर्वाहासाठी निवडलेल्या अगर वाट्यास आलेल्या व्यवसायानिमित्त अथवा उदरनिर्वाहाच्या साधनाच्या शोधात भटकत राहणाऱ्या लोकांना भटके म्हणतात।"² मतलब जीने के लिए चुने हुए या परंपरागत अपने हिस्से में आया हुआ काम या फिर जीने के लिए साधनों की खोज में घूमते रहने वाले लोगों को घुमंतू कहा जाता है।

मराठी के विद्वान डॉ नागनाथ कदम जी ने घुमंतू समुदाय की बड़ी सटीक व्याख्या की है। उनके अनुसार-" नाव सांगायाला स्वतःचे गाव नाही. राहायला घर नाही. जमिनी सारखे कायम स्वरूपाचे उत्पन्नाचे साधन नाही. उपेक्षित जगणे नशिबी आल्यामुळे पोट भरण्यासाठी कामाच्या निमित्ताने, सतत गावोगाव भटकत असलेल्या कलेच्या आधाराने स्वतःची उपजीविका करणारा लोकसमूह

अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जाती-जमातींच्या नावाने जीवन जगताना आढळतो, अशा या लोक समूहाला 'भटके' असे म्हणतात." ³ मतलब जिनके पास अपना कहे ऐसा गांव नहीं। रहने के लिए घर नहीं। खेत जमीन जैसा कोई उधर निर्वाह का पक्का साधन नहीं। नसीब में लिखा उपेक्षित जीवन जिसके चलते पेट की आग बुझाने हर दम गाँव दर गाँव घूमकर भिक्षा माँग या परंपरागत अपनी कला के सहारे उपजीविका चलाने वाला लोकसमूह, अनेक वर्षों से महाराष्ट्र में भिन्न-भिन्न जाति- उपजाति के नाम से जीवनयापन करता हुआ नजर आता है, ऐसे जन समूह को 'घुमंतू' कहा जाता है।

इन परीभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है की घुमंतू जनजाति के लोग उपेक्षित हैं। जिनका कोई घर बार नहीं। जीवन यापन करने के पक्के साधन नहीं। जो गांव दर गाँव भटकते हैं भिक्षा मांग कर या कला के माध्यम से अपना जीवन जीते हैं। जिंदगी भर भटकते हुए अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर इन आदिम जातियों के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि इन आदिम जातियों का अपना एक समृद्ध इतिहास है जिसे कहीं ना कहीं नजर अंदाज किया गया है। आज हमारे देश में घुमंतू, अर्ध-घुमंतू, विमुक्त जनजातियों में लगभग 650 जातियाँ तथा 1620 उप-जातियाँ हैं। घुमंतू विमुक्त जनजाति राष्ट्रीय आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण रेणुके जी के अहवाल एवं सन् 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार देश में घुमंतू जनजातियों की आबादी 15 करोड़ है। जिनमें भारतीय समाज का सर्वाधिक उपेक्षित और पिछड़ा वर्ग है; जिसमें- बेरड़, गोंधळी, बेलदार, कैकाड़ी, गारुड़ी, डवरी गोसावी, धनगर, पाथरवट, कोल्हाटी, गवळी, कालबेलिये, नट, भांड, पारधी, बहुरूपिये, सपेरे, मदारी, कलंदर, बहेलिये, भवैया, बणजारे, गुज्जर, गाड़िया लुहार, सिकलीगर, कुचबंदा, रेबारी, बेड़िया, नायक, कंजर, सांसी जैसी सैकड़ों जातियाँ आती हैं।

घुमंतू जनजातियों के संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान वी. राघवय्या अपने ग्रंथ "नोमॅड" में घुमंतू जनजातियों को वर्गीकृत करते हैं। "इसमें वो घुमंतू जनजातियों को चार भागों में विभाजित करते हैं- एक अनाज की खोज करने वाले घुमंतू जनजातियाँ, दो पशुपालन हेतु भटकने वाली जनजातियाँ, तीन छोटे छोटे व्यापार करने के लिए भटकने वाली जनजातियाँ और चार भीख मांगने वाली जनजातियाँ।"⁴ राघवय्या जी ने सिर्फ भ्रमण करने वाली जनजातियों को ही वर्गीकृत किया है। अपने ग्रंथ "भारत की यायावर" में डॉ श्यामसिंह शशि ने घुमंतू जनजातियों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया है- एक पशुपालक जातियाँ, दो पेशेवर यायावर, तीन अपराधी यायावर, चार व्यापारिक यायावर, भिक्षुक यायावर।"⁵ इसके साथ घुमंतू जनजातियों में देवी देवताओं की पूजा कर भिक्षा मांग कर जीने वाले, अपनी परंपरागत कला को सादर कर जीवन यापन करने वाले, शिकार कर उधर निर्वाह करने वाली जनजातियाँ आदि का भी समावेश है।

क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और घुमंतू जनजातियाँ

इन आदिम जातियों का अपना समृद्ध इतिहास रहा है। इनमें से कई जनजातियाँ देश के विभिन्न संस्थानों में स्वराज्य स्थापना हेतु सक्रिय भूमिका में रहे हैं। उदाहरण के तौर पर गोंधळी समाज ऐसा है जिसने स्वतंत्र्य पूर्व काल में हेरगिरि के माध्यम से छत्रपती शिवाजी महाराज के स्वराज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। शुरु में युद्ध में खजाना लूटा जाता। इस लुटे हुए खजाने को छप्परबंद समाज पिघलाकर सिक्के बनाता और अपने राजा को देता। सन् 1862 के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने परंपरागत सिक्कों के चलन को बंद कर अपना नया चलन शुरू किया जिसके चलते छप्परबंद समाज का परंपरागत सिक्के बनाने का काम बंद हो गया। इसके चलते उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की। उन्होंने अंग्रेजी द्वारा बनाए गए चलन के सिक्कों का नकल कर उसे चलन में लाया। जिससे अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। इन आदिम जातियों की ओर से की जाने वाली बगावत को सामना करने में असमर्थ हो रहे थे। सन् 1860 में भारत को रानी विक्टोरिया ने अपने अधीन कर लिया। तब उन्होंने छप्परबंद समाज के नकली सिक्कों के चलन को दूर करने के लिए चलन में नोट का प्रचलित किया और छप्परबंद समाज को अपराधी करार दिया।

सन 1871 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत बहुत सारी लडाकू जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब या अपराधी जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। गुनहगार जनजाति कानून बिल को स्पष्ट करते हुए स्टीफन का कहना था- "भारत में हर एक जाति जनजाति का अपना धंधा तय हुआ है यह धंधा वंश परंपरागत होता है यह लोग

शुरू से अंत तक गुनहगार ही रहेंगे इनकी जाति का यह धंधा होने के कारण इसमें सुधार होने की कोई संभावना नहीं है इतना ही नहीं गुनाह करना इनका धर्म है।⁶ भारत में इन जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया। यह कानून घुमंतु समुदाय में काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत की तकरीबन 198 और महाराष्ट्र की 42 जातियों को गुनाहगार की श्रेणी में रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करनेवाली इन समुदायों की संतानों को भी जन्मजात अपराधी के श्रेणी में रखा गया। सन् 1924 में लोगों की सुरक्षा और गुनहगारों पर कड़ी नजर रखने हेतु 'गुनहगार जनजातियाँ सेटलमेंट कानून' लागू किया गया। महाराष्ट्र की 42 में से 14 गुनाहगार जनजातियों को सेटलमेंट कानून के तहत 17 फीट ऊँची काँटों की तारों में बंदी बनाया गया। इन जनजातियों को महाराष्ट्र में सोलापुर, औरंगाबाद, पुणे, बारामती, जेजूरी, चिंचवड आदि स्थानों पर सेटलमेंट की स्थापना कर बंदी बनाया गया। यह 14 जनजातियाँ हैं- बेरड, बेस्तर, भामटा, कैकाडी, कंजारभाट, काटाबु, बंजारा, पारथी, राजपारथी, राजपूत भामटा, रोमोशी, वडार, वाघरी, छप्परबंदा।⁷

घुमंतु समुदाय की बहुत सी जातियाँ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के कारण कलंकित जीवन जीने के लिये मजबूर हो गईं, जिसके कारण ये कहीं अपना घर बसा नहीं पाए। आज भी समाज के द्वारा मुख्य धारा में समाहित न हो पाने के कारण और जीवन के मूलभूत सुविधाओं की पूर्ती के अभाव के चलते ये असामाजिक कार्यों से जुड़ जाते हैं। इस समुदाय की स्त्रियों की स्थिति इससे भी बदतर है। अपने आप को, बच्चों को जीवित रखने के लिए बेइनी, नचनिया, देह व्यापार जैसा काम कर अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।

भारत देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली लेकिन अंग्रेजों द्वारा थोपी गयी इस समुदाय की गुलामी 31 अगस्त 1952 में तकरीबन 91 साल बाद समाप्त हुई। सन् 1952 तक अंग्रेजी कानून के तहत इन्हें जन्मजात अपराधी माना जाता था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 11 अप्रैल 1960 को महाराष्ट्र के सोलापुर में सेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले लोगों को 'विमुक्त' कर दिया तब से इस गुनहगार जातियों को 'विमुक्त जनजाति' के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस कानून के चलते घुमंतू जनजातियों ने अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की भूमि खो दी। विडंबना यह है कि अंग्रेजों द्वारा प्रचलित पूर्वाग्रह के आधार पर इन विमुक्त जनजातियों को आज भी सामान्य जन या अभिजात वर्ग द्वारा अपराधीक प्रवृत्ति का माना जाता है। अभिजात वर्ग आज भी इन्हें आदतन अपराधी मानते हैं। इसलिए जब भी कभी कहीं कोई वारदात होती है तो सबसे पहले विमुक्त जनजातियों के लोगों को शक के दायरे में लेकर निशाना बनाया जाता है।

जन्मजात अपराधी के दायरे से तो यह विमुक्त हो गए लेकिन समाज के नजरिए में ये आज भी अपराध की श्रेणी में ही आते हैं जिसके चलते जब इन्हें अपनी कला के माध्यम से, अपने व्यवसाय के माध्यम से, भिक्षा माँग कर अपना पेट नहीं भर पाते तो भूख मिटाने और सन्मानजनक काम न मिलने के कारण इनमें से कई अपने पेट की आग बुझाने के लिए छोटी-मोटी चोरियाँ करते हैं। लक्ष्मण गायकवाड जी ने अपनी आत्मकथा उचलिया (उठाईगीर) में विमुक्त जनजातियों की वास्तविकता को उजागर किया है। आत्मकथा में वह इस समुदाय के बच्चों को आठ-नव वर्ष की आयु में चोरी किस तरह की जाए की पुलिस के हथियार चढ़े इस की शिक्षा देने की परिस्थिति का चित्रण करते हैं। "बच्चों को चोरियाँ सिखलाने के अलग अलग दल होते हैं। इसके चार प्रमुख प्रकार किए गए हैं- एक खिस्तंग मतने अर्थात् जेब कतरे, दो चप्पल मुठल अर्थात् चप्पल या गठरी की चोरी, तीन पड्ड घालने अर्थात् किसी को बेवकूफ बनाकर माल ऐंठना और चार उठेवारी अर्थात् बात-चीत करते-करते किसी को फँसाना। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं। पढ़ाई के बाद लड़के को अपनी पहली छह माह की कमाई शिक्षक को देनी पड़ती है।"⁸ भले ही यह समाज के कि आज के लिए चोरियाँ करता है लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा इनके साथ उनके घर की स्त्रियाँ और बाल बच्चों को भी झेलना पड़ता है। उठाईगीर में एक प्रसंग का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं, चोरी के शक में पुलिस वाले घर की झोपड़ी में आते हैं "झोपड़ी में जो भी स्त्री, पुरुष और बच्चे दिख रहे थे पुलिस वाले उन्हें बेतहाशा पीटने लगे। 'घर में क्या है बता'- दादी से पूछते हुए पुलिसवाले दादी के स्तनों को पकड़कर उसे भी पीटने लगे।"⁹ इस तरह का अपमानित जीवन इस समुदाय

के औरतों के लिए नया नहीं है। सम्मानजनक काम न मिलने के कारण घुमंतू जनजातियों की स्त्रियाँ बेड़नी, नचनिया, देह व्यापार जैसे कामों में लिक नजर आती हैं।

विमुक्त जनजातियों का शोषण सब से ज्यादा पुलिस द्वारा किया जाता है। पुलिस के द्वारा इन पर किए गए अन्याय, अत्याचार आदि की सूची कम नहीं है। ये लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए छोटी-मोटी चोरियाँ करते हैं। छोटे-मोटे गैरकानूनी काम करते हैं, जिसके चलते सरकारी व्यवस्था इन पर कार्यवाही करती है। लेकिन प्रशासकीय यंत्रणा या पुलिस के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही इतनी बेरहम होती है की इसमें कईयों की जान जाती है, तो कई हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। भीमराव गशती अपनी आत्मकथा 'बेरड' में एक प्रसंग को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं "अब तक इस टोले से कोई पचास साठ बेकसूर, निष्पाप बेरड पुलिस की धर पकड़ में दबोच लिए गए थे। और उन्हें हवालात में ढुंसकर मार मार कर यानी 'भारमाप्पा' का मजा चखा कर अपाहिज, लूला या पंगु बना दिया गया था।" ¹⁰ ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। यह समाज भी सन्मानपूर्वक जीना चाहता है। वास्तव में इनका इतिहास गौरवपूर्ण है। इस समुदाय ने स्वराज के लिए देश को स्वतंत्रता दिलाने की भूमिका में अहम योगदान दिया है। ये लोग बड़े ईमानदार एवं स्वामिनिष्ठ होते हैं। इन जातियों के लोगों की स्वामिनिष्ठता एवं वीरता से परेशान होकर ही अंग्रेजी हुकूमत द्वारा इन्हें अपराधी घोषित करार दिया गया और इनकी आने वाली नस्लों को जन्मजात अपराधी माना गया लेकिन इस समाज के प्रति हमारी मानसिकता अंग्रेजों द्वारा लगाए गए आरोपों की बुनियाद पर ही बनी हुई है जिससे बदलना बहुत जरूरी है। बेरड समुदाय के बारे में हणमसेठ गुरुजी कहते हैं कि "जीता-जागता पैदाइशी बेरड अपना ईमान कभी नहीं भूलता। वह दूसरों की रक्षा की खातिर अपना सर्वस्व निछावर करता है। तो सच्चा विश्वास पात्र होता है- बेरड।" ¹¹

यह लोग मुख्यधारा में आना चाहते हैं लेकिन मुख्यधारा में आने के लिए इनके रास्तों में अनगिनत मुसीबतें हैं। यह अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन शिक्षा के द्वार इनके लिए आसान नहीं है। उठाईगीर, बेरड, पराया, छोरा कोल्हाटी का, डेराडांगर, जीवन सरिता बह रही है, पोतराज आदि लगभग सभी आत्मकथाओं में इस समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला गया है। हर आत्मकथाकार की आत्मकथा को जानने के उपरांत पता चलता है की शिक्षा के लिए भी इन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा है। मच्छीद्र भोसले अपनी आत्मकथा 'जीवन सरिता बह रही है' में नाथपंथी डवरी गोसावी समाज की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया है। अपने समुदाय की वास्तविकता को दर्शाते हुए लेखक लिखते हैं-" भीखमंगे की अवस्था में जन्म लेना और भीखमंगे की ही अवस्था में मरना यही इनका विश्वा अज्ञान अंधश्रद्धा व्यसनाधीनता आदि विश्व की बुराइयों को उड़कर जीने वाले यह अभावग्रस्त जीव...।" ¹² लेखक की पिताजी अपनी बेटी के लिए यह विश्व नहीं चाहते थे इसलिए वह उसे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्कूल में दाखिला लेने में उन्हें दिक्कत आती है। "इस बच्चे का नाम स्कूल में दाखिल नहीं करूंगा। तुम्हारी डवरी की जाति, भीख माँग कर खानेवाली, कहीं भी रहनेवाली, भटकनेवाली। तुम लोग स्कूली शिक्षा पाने के लायक नहीं हो। इसे आज स्कूल में डालोगे तो कल तुम उसे निकाल ले जाओगे।" ¹³ मास्टर जी का यह कहना सही था लेकिन लेखक की पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। घुमंतू जनसमुदाय की ऐसी अनेक समस्याएँ हैं जिससे यह समाज रोज ब रोज जीता है। इनका उधरनिर्वाह एवं अर्थाजन का कोई निश्चित साधन नहीं है। यह समुदाय अपने परंपरागत छोटे-मोटे काम कर उधरनिर्वाह करता है। इस समुदाय के प्रति समाज की मानसिकता के चलते इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती और नौकरी मिलती है तो वहाँ उन्हें अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। अभावग्रस्त जीवन के चलते ये लोग अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते। अपनी जात पंचायत एवं अंधश्रद्धा में यह समाज इस तरह लिप्त है की शिक्षा के महत्व को यह समझते नहीं और जो समझते हैं उनके लिए है शिक्षा का रास्ता आसान नहीं रहता।

निष्कर्षतः इस आदिम घुमंतू समुदाय का अपना इतिहास है। ये लोग अपने परंपरागत व्यवसाय के माध्यम से, कीर्तन कर भिक्षा के सहारे या फिर अपनी परंपरागत कला के माध्यम से अपनी अपने जीवन को ढोते हैं। हमेशा अभावग्रस्त में रहने वाला यह समुदाय जिसका न कोई घर है, ना गाँव, ना जमीन। जिंदगी भर भटकंति जीवन जीने के लिए मजबूर इस समुदाय की अपनी

अनगिनत समस्याएँ हैं ऊपर से अपराधी जमात के रूप में इन पर लगाया गया लेबल इन्हें कहीं भी स्वस्थ जीवन जीने नहीं देता। इस समुदाय से जुड़ी हुई आत्मकथाएँ इस समुदाय के जीवन की वास्तविकता बेबाकी के साथ हमारे सामने रखती है।

संदर्भ

- 1 बाहरी डॉ हरदेव, बृहत अंग्रेजी हिंदी कोश भाग 1, ज्ञानमंडल लिमिटेड, वाराणसी, सं 1969, पृ 1219
- 2 जोशी लक्ष्मणशास्त्री, मराठी विश्वकोश, भाग12, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मित मंडळ, मुंबई, प्र सं 1985, पृ 12
- 3 कदम डॉ नागनाथ धोंडीबा, महाराष्ट्रातील भटका समाज: संस्कृति व साहित्य, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे, प्र सं 1995 पृ 12
- 4 Raghaviah V., Nomad, Bharateeya Adimajati Sevak Sangh, Swarajya Printing Works, Secunderabad, First edition 1968, Page 110
- 5 शशि डॉ श्यामसिंह, भारत के यायावर, जगत राम एन्ड सन्स, दिल्ली, प्र सं 1984, पृ 26-27
- 6 खराब शंकरराव, भटक्या विमुक्त जमाती व त्यांचे प्रश्न, सुदामा प्रकाशन पुणे, प्रथम संस्करण 2003 पृ 37
- 7 डॉ भोसले दत्तात्रय, घुमंतु जनजातियों के स्वकथनों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, विनय प्रकाशन कानपुर प्रथम संस्करण 2020, पृ 18-19
- 8 वही पृ 79
- 9 गायकवाड़ लक्ष्मण, उठाईगीर, अनुवाद सूर्यनारायण रणसुभे, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, सं 1992 पृ 9
- 10 गस्ती भीमराव, बेरड, अनुवाद गुलाबराय हाडे, विद्या विहार प्रकाशन, कानपुर, प्र सं 2006 पृ 324
- 11 वही पृ 150
- 12 भोसले मच्छिंद्र, जीवन सरिता बह रही है, अनुवाद दत्तात्रय भोसले, द ताईची प्रकाशन पुणे, सं 2014 , पृ 7
- 13 वही पृ 14

संदर्भ ग्रंथ

- 1 सूर्यकांत भिसे, भटक्यांची भटकंती, आनंदमूर्ती प्रिंटर्स एंड पब्लिकेशन, सोलापुर, प्रथम आवृत्ती, 2016